बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन Kushal Yuva Programme कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई–2016 में प्रारम्भ की गई, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY के द्वारा सुपौल जिला में संचालित किये जाने हेतु केन्द्र का पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के आधार पर इस केन्द्र को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुमोदित किया गया तथा KYP Code- 03030022 आवंटित किया गया।

कालान्तर में मो0 अल्ताफ आलम, पिता–मो0 मंजुर आलम, जिला–सुपौल एवं अन्य के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि श्री धनंजय कुमार भारती, निदेशक DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY द्वारा KYP केन्द्र के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उनके साथ 50:50 प्रतिशत के आधार पर समझौता किया गया है। कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि भी उनके द्वारा धनंजय कुमार भारती को भुगतान किया गया। भुगतान दो माध्यम से किया गया। एक लाख RTGS के माध्यम से, शेष राशि दो किस्तो में नगद में दिया गया। तदोपरान्त उनके द्वारा रु0 1000/– के स्टॉम्प पेपर पर एकरारनामा बनाकर हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की गयी है। जनवरी–2019 से उन्होंने विधिवत केन्द्र के संचालन का जिम्मा अपने हाथों मे लिया। सभी L.F. का चयन उनके द्वारा किया गया। छात्रों को घर–घर जाकर बेहतर केन्द्र संचालन का आश्वासन देकर कार्यक्रम के प्रति जागरुक बनाया तथा छः माह के कठिन परिश्रम के बाद मृतप्रायः केन्द्र को पूर्ण क्षमता से खड़ा किया, जिससे केन्द्र पर नामांकन की स्थिति बेहतर हुई। छात्रों के सफल प्रशिक्षण के कारण छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने लगे, जिससे केन्द्र को अच्छी–खासी राशि प्राप्त होने लगी। जब उनके द्वारा खर्च की राशि एवं अपना लाभ एकरारनामा के मुताबिक मांगना शुरु किया गया तो श्री भारती द्वारा आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुये टाल–मटोल किया जाने लगा। उन्हें कुल रु0 1,20,000/– का भुगतान कर आगे केन्द्र का खर्चा भुगतान करने से मना कर दिया गया। केन्द्र पर ताला मार दिया गया और केन्द्र का प्रशिक्षण भी बाधित कर दिया गया। बाद में जिला पदाधिकारी द्वारा DSM और नोडल पदाधिकारी को केन्द्र खुलवाने का निर्देश दिया गया।

मो0 अल्ताफ आलम से प्राप्त आवेदन के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा श्री धनन्जय भारती, निदेशक, DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपने स्पष्टीकरण में DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मो0 अल्ताफ आलम के साथ किसी प्रकार का कोई एकरारनामा नहीं किया है तथा समर्पित एकरारनामा पूरी तरह फर्जी है। उनके द्वारा मो0 अल्ताफ आलम के विरुद्ध फर्जी एकरारनामा समर्पित करने हेतु विधिसम्म्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि मो0 अल्ताफ आलम ने चालाकी से कुछ सामानों का बिल अपने नाम करा लिया, जिसकी जानकारी उन्हें अब प्राप्त हुई है। 01 लाख रूपये उन्होनें कर्ज स्वरूप लिया था, जिसे बाद में लौटा दिया गया है। अन्त में उन्होंने केन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है ताकि प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण में असुविधा नहीं हो।

बिहार कौशल विकास मिशन के निदेश के आलोक में श्रम अधीक्षक, सुपौल एवं जिला कौशल प्रबंधक, सुपौल द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जाँच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत् है–

1. केन्द्र संचालक श्री धनंजय कुमार भारती द्वारा बयान पर अंकित हस्ताक्षर एवं एकरारनामा पर अंकित उनके हस्ताक्षर में काफी समानता है। साथ ही स्टॉम्प पेपर पर उनके कथनानुसार यदि शिकायतकर्त्तागण द्वारा उनका फर्जी हस्ताक्षर बना दिया गया, तो यह बात उनके संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक उन्होंने शिकायतकर्त्ता के विरूद्ध कोई कारवाई नहीं की है। श्री भारती, मकान मालिक के साथ हुये एकरारनामा पर भी अपने हस्ताक्षर से इन्कार करते है। लेकिन उसी मकान में सेन्टर चलाते है और वर्त्तमान में भी उनका सेन्टर वही है।
2. जाँच के क्रम में पाया गया कि केन्द्र संचालक श्री भारती द्वारा कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु पंजी का संधारण नहीं किया गया है और न ही पे स्लीप दिया गया है। श्री भारती द्वारा मो0 अल्ताफ आलम को कुल रू0 79000.00/– अलग–अलग तिथियों में ट्रान्सफर किया गया है और रू0 1,20,000.00/– चेक के माध्यम से दिया गया है। लेकिन उक्त राशि श्री भारती के द्वारा क्यों दिया गया है, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं उपलब्ध कराया गया है। साथ ही कितनी राशि शिकायतकर्त्ता से लिये और किस उद्देश्य से लिये, यह भी श्री भारती स्पष्ट नहीं कर सके। इससे यह प्रतीत होता है कि श्री भारती जान–बूझकर सच्चाई छुपा रहें हैं और शिकायतकर्त्ता से उन्होंने रूपये Franchisee के एवज में ही लिये है।

श्री अल्ताफ आलम द्वारा समर्पित आवेदन, निदेशक, DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा विभागीय जॉच प्रतिवेदन से यह परिलक्षित होता है कि KYP Code- 03030022 का संचालन DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY के द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। अपितु इसका संचालन मो0 अल्ताफ आलम के द्वारा Franchisee Mode में किया जा रहा है। Franchisee Mode में केन्द्र के संचालन से अनावश्क रूप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा होता है, जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY के द्वारा विचौलिया की भूमिका निभाई जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिये हानिकारक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में KYP Code- 03030022 सुपौल का स्वामित्व उसके वास्तविक संचालनकर्ता मो0 अल्ताफ आलम, संजय कुमार, अनुरेख आनंद एवं संजीत कुमार सिंह द्वारा निर्मित संस्था कोशी इन्फोटेक एण्ड सोशल सर्विस संस्थान के नाम पर परिवर्तित किया जाता है। मो0 अल्ताफ आलम, अध्यक्ष, कोशी इन्फोटेक एण्ड सोशल सर्विस संस्थान को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा– Centre Name, Owner's Name, Pan detail of Owner, Bank Account of Owner, email id & Mobile No. of Owener की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/परिवर्तन किया जा सके।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Atul Ranjan 27/08/2021

(अतुल रंजन)
मिशन निदेशक

ज्ञापांक–BSDM/SDM-48/2019 (खण्ड–क)– 931 पटना, दिनांक– 17/08/2022

प्रतिलिपि– DIYA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मो0 अल्ताफ आलम, पिता–मो0 मंजुर आलम, जिला–सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. मिशन प्रबंधक (वित एवं लेखा)/मिशन प्रबंधक (कार्यकम कियान्वयन)/मिशन प्रबंधक (समन्वय)/SPMU Inchrge सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला कौशल प्रबंधक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/08/2022

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।